रिछपाल बनाम भगवान मु.न. 96/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.1.25	पत्रावली पेश। अपील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 18.3.25 को पेश हो।	
18.3.25	पत्रावली पेश। अपील उभय पक्ष उप. अपील उभय पक्षों ने बहस हेतु समय चाहा। अपीलार्थी को अंतिम अवसर दिया जाता। बहस नहीं किये जाने पर गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया जावेगा। बास्ते बहस दिनांक 17.4.25 को पेश हो।	
17.4.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.4.25 को पेश हो।	
23.4.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट [स्वीकार] की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 96/2023

1 रिछपाल उम्र 70 साल पुत्र भैरूराम
2 संतोष देवी उम्र 63 साल पत्नी रिछपाल
3 सरदारमल उम्र 33 साल पुत्र रिछपाल
4 सरोज उम्र 43 साल पुत्री रिछपाल
5 मंगली उम्र 45 साल पुत्री रिछपाल
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी चौपड़ा की तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 भगवान सहाय उम्र 78 साल पुत्र हनुमान सहाय जाति माली निवासी ढाणी झझंझूडा तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

रेस्पोडेन्ट/वादी

2 मालीराम उम्र 73 साल पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी ढाणी चौपड़ा की तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 भूमिधारी जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 छिगन उम्र 34 साल पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी ढाणी चौपड़ा की तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2023
प्रकरण संख्या 158/2015 जी.सी.एम.एस. 2015/0438
उनवानी भगवान सहाय बनाम रिछपाल आदि न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 23/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 158/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष एक वाद पत्र बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.9400 हैक्टेयर तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी का 32/94 हिस्सा है जो प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 18.05.2015 को क्रय की थी। क्रय की हुई भूमि के उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की भूमि, पश्चिम में मालीराम की भूमि जिसके सहारे 12 फिट रास्ता छोड़कर विक्रित भूमि व पूर्व में सुण्डाराम बल्डवाल की भूमि है। जिसका इकरारनामा दिनांक 15.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया है इसलिए उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर वादी का 32/94 हिस्सा का बट्टा नम्बर अलग डाला जाकर अलग अलग सींव नींव कायम की जावें। जिस वाद पत्र में दिनांक 24.05.2023 को निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर दी गयी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6/अपीलान्ट का जवाबदावा दिनांक 24.05.2023 को बंद कर उसी दिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 6/अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। जिस निर्णय मं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

असंगतता एवं विरोधाभाष है क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 24.05.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तो उस दिन जवाबदावा बंद करने की कतई आवश्यकता नहीं थी और यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता उस दिन उपस्थित थे व जवाबदावा बंद किया गया तो एकतरफा कार्यवाही किस विधि के तहत की गयी के बाबत निर्णय में विरोधाभाष होने से निर्णय व डिक्री खारिज किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के एक विशेष हिस्से पर अपना कब्जा काश्त होना वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णन किया है तथा अपीलान्ट द्वारा इस बाबत इकरारनामा लिखकर दिये जाने का कथन किया, ऐसी स्थिति में वादी को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपना वाद पत्र साबित करना आवश्यक है जिसके लिए वादी की साक्ष्य ली जाकर ही वाद पत्र निर्णित किए जाने की कानूनी बाध्यतता है परन्तु वादी की बिना कोई साक्ष्य लिए वादी के अभिकथनों का बिना कोई विवेचन व विश्लेषण किए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रतिदावा पेश किया तथा प्रतिदावा पेश होने पर वाद पत्र में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य ली जाकर ही निर्णय किए जाने की कानूनी बाध्यतता है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया को इग्नोर करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपना निर्णय व डिक्री पारित करके गंभीर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित एवं साबित था कि भूमि खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.94 हैक्टेयर ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर अपीलांट की पैत्रिक भूमियां है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी अपीलान्टस की पड़ौसी है जिसने अपने मकानों का ग्राम पंचायत से जारी पट्टे पर लोन के लिए कोर्ट व तहसील कार्यालय में रजिस्ट्रेशन में गवाह बनने के लिए अपीलान्ट संख्या 1 रिछपाल व इसके पुत्र छिगन को ले गया तथा कपटपूर्वक धोखे से फर्जी व कूटरचित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 1 से वादी ने अपने पक्ष में वादग्रस्त भूमि के बाबत निष्पादित करवा लिया लबकि किसी प्रकार के प्रतिफल व कब्जे का आदान प्रदान नहीं हुआ। जिस अवैध विक्रय पत्र की जानकारी अपीलान्टस को होने पर अपीलान्टस ने विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में चुनौती दी तथा माननीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कम संख्या 2 श्रीमाधोपुर जिला सीकर से प्रकरण संख्या 11/2016 उनवानी रिछपाल वगै. बनाम भगवान सहाय में दिनांक 01.12.2021 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्टस का आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ स्वीकार किया गया है। जिस विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम हुई खातेदारी को विक्रय पत्र विवादित रहने के दौरान वैध मानकर निर्णय व डिक्री पारित करके योग्य विचारण न्यायालय ने गंभीर कानूनी त्रुटि की है। इसलिए निण्रय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस का जवाबदावा बंद कर उसी दिन अपीलान्टस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अपीलान्ट का जवाबदावा बंद कर देने से अपीलान्टस अपनी पैत्रिक भूमियों के बाबत अपना पक्ष नहीं रख पाये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है इसलिए अपीलान्टस का वाद पत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 व 6 के रूप में पक्षकार रहे है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये अधिवक्ता श्री सरदार सिंह कुड़ी उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 6/अपीलान्ट को 41 अवसर दिये जाने के उपरांत भी एवं कोष्ट पर भी अवसर दिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जाने पर भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से जवाब दावा बंद कर विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री की गई है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रह कर प्रकरण को विलम्बित करने के उद्देश्य से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 व 6 के रूप में पक्षकार रहे है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की जरिये अधिवक्ता श्री सरदार सिंह कुड़ी उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 6/अपीलान्ट को 41 अवसर दिये जाने के उपरांत भी एवं कोष्ट पर भी अवसर दिये जाने पर भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से जवाब दावा बंद कर विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री की गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। अतः इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति एवं स्वयं का पक्ष रखकर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर